उत्तराखण्ड शासन
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्याः– 329 उन्तीस (1)/2018–(33 अधि0) 2017
देहरादून दिनांकः 01 मार्च, 2018

दिनांक 17.08.2017 की रात्रि में दिलाराम बाजार, देहरादून स्थित जलकल में हुये क्लोरीन गैस रिसाव के कारण 14 व्यक्ति उक्त गैस से प्रभावित हुये, जिनमें से 05 व्यक्तियों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। प्रश्नगत प्रकरण में उदासीनता एवं लापरवाही के कृत्य हेतु श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (नगर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को शासन के पत्र संख्या–78/उन्नतीस(1)/2018 (33 अधि0)/2017 दिनांक 10.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम–10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री सुबोध कुमार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराया गया। श्री सुबोध कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका वर्ष 2015 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा मैक्स अस्पताल, देहरादून से इलाज चल रहा है। चिकित्सकीय परामर्शानुसार उन्हें प्रत्येक रात्रि में दवा लेनी पड़ती है, जिसके कारण गहरी नींद आती है तथा रात्रि में वह उठ पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। दिनांक 17.08.2017 की रात्रि में अचानक हुये क्लोरीन गैस रिसाव की जानकारी यद्यपि प्रभारी अधिशासी अभियन्ता (उत्तर) उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा रात्रि 12:00 बजे उनको दी गई थी तथा अवगत कराया गया कि स्थिति पर अब नियंत्रण पा लिया गया है, परन्तु दवा के असर के कारण वे पुनः सो गये। श्री सुबोध कुमार के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 18.08.2017 की प्रातः दूरभाष पर प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से जलापूर्ति के सम्बन्ध में समस्त जानकारी ली गई एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरान्त श्री सुबोध कुमार द्वारा प्रातः 10:15 बजे घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा स्थल निरीक्षण के समय घटना स्थल से रिसाव वाला क्लोरीन सिलेण्डर हटाकर इसे जलकल परिसर स्थित नहर में डाला गया तथा भरे हुए क्लोरीन गैस सिलेण्डरों को जलकल परिसर स्थित नहर के किनारे रखवाया गया।

2– श्री सुबोध कुमार द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है। उक्त रात्रि को क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण 14 लोग प्रभावित हुये जिनमें से 05 लोगों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया एवं उक्त रिसाव के कारण जान–माल का भी नुकसान हो सकता था। श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (नगर) द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा दिनांक 17.08.2017 की रात्रि 12:00 बजे घटना का संज्ञान होने के बावजूद हुए घटना के अगले दिन दिनांक 18.08.2017 को प्रातः 10:15 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। प्रकरण में मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जांच आख्या में क्लोरीन गैस के रिसाव का कारण सिलेण्डर की तली में लगभग 5 मि.मी. का छेद पाया जाना तथा सिलेण्डर की तली में अत्यधिक जंग लगा हुआ पाया

जाना बताया गया। इसके अतिरिक्त क्लोरीन प्लान्ट पर छत न होने एवं प्लान्ट के गेट के सामने टैंकर खडे होने, सिलेण्डरों की स्थिति को भली भॉति न देखने आदि की लापरवाही भी जांच में पायी गई। समय–समय पर जलकल स्थित ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का मुआयना कर प्लान्ट की कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर उनका क्रियान्वयन सही ढंग से कराये जाने का दायित्व अधीक्षण अभियन्ता (नगर) के पद पर होने के दृष्टिगत श्री सुबोध कुमार का था, जो उनके द्वारा नहीं निभाया गया। अधीक्षण अभियन्ता (नगर) जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के बावजूद अपनी बीमारी का आधार बनाकर प्रकरण में अपेक्षित संवेदनशीलता न बरतने तथा कार्यो के प्रति उदासीनता हेतु श्री सुबोध कुमार को भविष्य हेतु चेतावनी दी जाती है।

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव(प्रभारी)

पत्र सं0–327/ उन्तीस (1)/2018–33 अधि0) 2017, तददिनांकित:–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव,मा0मंत्री जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल,पौडी।
4. जिलाधिकारी,देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादूनं।
6. सम्बन्धित अधिकारी (श्री सुबोध कुमार)।
7. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।